**न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।**
**पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय**
**ए0बी0पी0– 429 / 2026**
**(हिलसा थाना कांड संख्या– 218 / 2026)**

बुल्लु प्रसाद बनाम् राज्य सरकार।

| Date of Order | Order with the signature of the Court | Office action taken |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | आवेदक बुल्लु प्रसाद की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 126(2), 115(2), 352, 303(2), 74, 75(1), 76, 3(5) बी0 एन0 एस0 के तहत हिलसा थाना कांड संख्या– 218 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना।<br><br>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि इससे पहले प्रार्थी की ओर से न तो आपके माननीय न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दायर किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को इस केस में दोनों पक्षों में पुरानी दुश्मनी के कारण ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या विशिष्ट (स्पेसिफिक) आरोप नहीं है। सह–अभियुक्तों को निचली अदालत से जमानत मिली है। आवेदक के भौतिक कब्जे से चोरी का कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है। 303(2), 74, 75, 76 बी0 एन0 एस0 आवेदक के विरूद्ध लागु नहीं होता है। आवेदक 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय।<br><br>विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं।<br><br>सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि दिनांक 22.03.2026 संध्या 4:00 अंजू कुमारी के ही गाँव के 1. बुल्लु प्रसाद 2. प्रतिभा देवी 3. सामंती देवी सभी मिलकर चिंता देवी एवं अनीता कुमारी को गाली–गलौज व मारपीट किये। जिसमें प्रतिभा देवी गले से सोने का मंगलसुत्र आठ आने भर जिसकी कीमत लगभग 60,000 रू0 छीन लिया एवं सामंती देवी पर्स से 3,000 रू0 ले लिया एवं बुल्लु प्रसाद बलौज फाड़ दिए एवं साड़ी खींचकर अर्धनग्न कर दिया।<br><br>सुना। कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक पर हमला करने और मानहानि करने का सामान्य आरोप है। आवेदक, आवेदक की पत्नी एवं बेटी को अभियुक्त बनाया गया है। पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए।<br>अतः आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदक के गिरफ्तार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसे | |

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार...** | 10,000 रूपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर न्यायालय की संतुष्टी पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।<br><br>(लेखापित)<br><br>**ह0/–**<br>**अपर सत्र न्यायाधीश–V,**<br>**हिलसा (नालंदा)।**<br><br>**ज्ञापांक–...../ दि0.....**<br><br>**प्रतिलिपि :–** श्री गौतम न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिलसा (नालन्दा) को मूल अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।<br><br>**अपर सत्र न्यायाधीश–V,**<br>**हिलसा (नालंदा)।** | |